

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215286
CG-DL-E-10012020-215286

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]
No. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 90(अ).—केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3270(अ) तारीख 09 सितम्बर, 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 13 सितम्बर, 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में झारखण्ड राज्य के बोकारो एवं रामगढ़ जिले में कोल बेड मिथेन गैस के परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 21 सितम्बर 2019, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

राज्य- झारखण्ड

जिला	अंचल/तहसील	मौजा का नाम एवं थाना सं.	खेसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
रामगढ़	मान्डू	केरीबन्दा - 124	62	00	15	40
			61	00	12	70
			64	00	00	20
			59	00	13	40
			42	00	00	60
			51	00	03	60
			49	01	08	80
			47	00	52	30
			46	00	01	90
			280	00	01	50
		कासीखाप - 123	483	00	04	20
			482	00	07	10
			480	00	06	90
			53	00	05	40
			481	00	01	80
			55	00	09	30
		बोंगाहारा - 120	660	00	03	90

1	2	3	4	5	6	7
बोकारो	गोमिया	धेन्धे - 124	1372	00	02	00
			1371	00	00	50
			1226	00	01	80
		साइम - 122	2380	00	01	70
		होसिर - 123	602	00	10	50
		खुदगड़ा - 111	1336	00	01	40

[फा. सं. EXPL-13011(26)/14/2019-ONG-III]

मोहन चंद्र भट्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

S.O. 90(E).—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3270(E) dated the 09th September, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 13st September, 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Coal Bed Methane (CBM) Gas by Oil and Natural Gas Corporation Limited ;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 21.09.2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

State- Jharkhand

District	Anchal /Tehsil	Name of the Mouza and Thana No.	Khasra No.	Area		
				Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6	7
Ramgarh	Mandu	Keribanda - 124	62	00	15	40
			61	00	12	70

1	2	3	4	5	6	7
			64	00	00	20
			59	00	13	40
			42	00	00	60
			51	00	03	60
			49	01	08	80
			47	00	52	30
			46	00	01	90
			280	00	01	50
		Kasikhap - 123	483	00	04	20
			482	00	07	10
			480	00	06	90
			53	00	05	40
			481	00	01	80
			55	00	09	30
		Bongahara - 120	660	00	03	90
Bokaro	Gumia	Dhendhe - 124	1372	00	02	00
			1371	00	00	50
			1226	00	01	80
Bokaro	Gumia	Saram – 122	2380	00	01	70
		Hosir - 123	602	00	10	50
		Khudgara - 111	1336	00	01	40

[F. No. EXPL-13011(26)/14/2019-ONG-III]

M. C. BHATT, Dy. Secy.